भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1703

(21 दिसम्बर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा मज़दूरों को विलंब से मज़दूरी देने पर ब्याज का प्रावधान

1703. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मनरेगा के तहत मनरेगा मज़दूरी के भुगतान के लिए 15 दिनों की निर्धारित अवधि के मुकाबले मज़दूरों को उक्त वेतन का भुगतान करने में कितना विलंब हुआ है;

(ख) क्या सरकार मजदूरी के भुगतान में विलंब के लिए मनरेगा के मजदूरों को ब्याज देने के लिए प्रावधान करने पर विचार करेगी; और

(ग) मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी समय से मिल सके , इसके लिए सरकार द्वारा विगत 3 वर्षों में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम रहा है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) की अनुसूची-II में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार, मजदूरी की मांग करने वाले मस्टर रोल के बंद होने के 16 दिन के बाद भुगतान न की गई मजदूरी के 0.05% की दर से प्रतिदिन विलंब के लिए मुआवजा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

मुआवजा देय होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के बाद इसके भुगतान में किसी तरह के विलंब को मजदूरियों के भुगतान में विलंब की तरह ही माना जाएगा।

राज्य सरकार ऊपर निर्धारित समय-सीमा के भीतर विधिवत सत्यापन करने के बाद आगे मुआवजा का भुगतान करेगी और भुगतान में विलंब के लिए जिम्मेदार कर्मियों या एजेंसियों से मुआवजे की राशि वसूल करेगी।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा के उपबंध के अनुसार , लाभार्थी कार्य के मस्टर रोल के बंद होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी प्राप्त करने के हकदार हैं। भारत सरकार ने समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यों को एक विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर समय पर मजदूरियों के भुगतान में सुधार करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास कर रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर भुगतान आदेश तैयार करने की सलाह दी गई है। इसके फलस्वरूप समय पर भुगतान आदेश तैयार करने की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और कामगारों के खातों में मजदूरी जमा करने में लगने वाले वास्तविक समय में कमी आई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में (18.12.2022 तक), 15 दिनों के भीतर हुए भुगतान का प्रतिशत 95.43% है।

मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कामगारों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. 27 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) का विस्तार करना।
ii. समय पर मजदूरी का भुगतान करने , मुआवजा के लंबित दावों का सत्यापन करने की कार्यनीति बनाने के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श करना।
iii. समय पर मजदूरी और मुआवजे का भुगतान करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार करना।
iv. समय पर मजदूरी और विलंब के लिए मुआवजे के भुगतान की स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वीडियो कांफ्रेंस।
v. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अस्वीकृत अंतरण का समय पर फिर से भुगतान सुनिश्चित करें और निधि की प्रत्येक रिलीज को अस्वीकृत अंतरण की प्राथमिकता के आधार पर रिलीज के रूप में चिह्नित करें।
vi. राज्यों से कहा गया है कि वे पीएफएमएस द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अमान्य खातों में सुधार करें।

*****